Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old (M)164]

In the Court of ACJM, Teghra

Case No. नालसी 1307/19

.... P.S. Case No. ....

अनिता देवी Vs. देवनन्दन ठाकुर

Order S. No.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action with date
1	2	3	4
	3.7.24	परिवादी का साक्ष्य आवेदन दिया गया। उक्त दो अभियुक्त (1) देवनंदन ठाकुर (2) [illegible] देवी की हाजरी [illegible]। वास्ते [illegible] 2.09.24 [illegible] इन्तजारी। [signature] 3.7.24	
	02-9-24	S. 311 CrPC के आवेदन पर आदेश परिवादिनी सहित सभी दो अभियुक्तगण की हाजिरी है। दिनांक 03-10-2023 को परिवादिनी की ओर से धारा 311 CrPC के तहत एक आवेदन दाखिल कर प्रार्थना किया गया है कि साक्षी राजेन्द्र दास एवं यदु-नंदन का वाद के उचित न्याय निर्णयन हेतु साक्ष्य कराना जाना अतिआवश्यक है। अत: उक्त के साक्ष्य कराये जाने की अनुमति दी जाये।	

Contd.

Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old (M)164]

In the Court of ACJM, Teghra

Case No. 1501 c/2019.

.... P.S. Case No. ....

अनिता देवी Vs. देव नंदन ठाकुर @ मुन्ना व अन्य.

Order S. No.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार 2-9-24	बचाव पक्ष द्वारा दिनांक 16-02-2024 को प्रत्युत्तर दाखिल कर परिवादिनी के आवेदन का घोर विरोध किया गया है। उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद समन मामला है और दिनांक 18-10-2019 को भा० दण्ड संहिता की धारा 323, 341, 504, 427 के तहत दण्डनीय अपराध का प्रथम दृष्ट्या मामला पाते हुए दिनांक 21-11-2019 को उक्त धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों का सारांश सुनाया गया। जिसे अस्वीकार किये जाने पर परिवादिनी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। परिवादिनी ने स्वयं के अलावा अन्य तीन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया। परिवादिनी को दो बार (दिनांक 05-07-2022 एवं 26-06-2023 को) अंतिम अवसर दिया गया। यद्यपि परिवादिनी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है तथापि वाद के उचित न्याय निर्णयन हेतु उक्त गवाहों की गवाही कराना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में एवं उचित न्याय निर्णयन हेतु परिवादिनी	

— Contd -

In the Court of ACJM, Teghra

Case No. ~~1501~~ 1501c/2019.

.... P.S. Case No. ....

अनिता देवी Vs. देव नंदन ठाकुर @ मुन्ना व अन्य

को एक अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः परिवादिनी की ओर से दाखिल आवेदन अन्तर्गत धारा 311 CrPC दिनांक 03-10-2023 को स्वीकृत किया जाता है। परिवादिनी को निर्देश दिया जाता है कि लगातार दो तिथियों में अपना साक्ष्य समाप्त करें।

बाद दिनांक 20-11-24 को परिवादिनी की ओर से साक्ष्य हेतु अभिलेख प्रस्तुत करें।

02/09/2024.
(SUSHIL PRASAD)
ACJM,
Teghra.